

11-07-96

संलग्न-आ

②
39

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
अवित्त भवन, 14-अकोल भाग,
लखनऊ ।

सं० 1327-क.वि.की/राविप-29/96-14कविपकी/07, दि० 11 जुलै, 1996

कार्यालय-आप

परिषद के विभागीय समित्त समित्तियों की अनुमतिओं के आधार पर
जरे आने वाले सभी संघों के सदस्यों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपग्रह को अस्वीकार
करते हुए श्रेष्ठता" के माप दण्डों के आधार पर प्रोत्साहितियाँ किए जाने की
प्रक्रिया संसद्भाषांतर निर्धारित की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

परिषद की आज्ञा से,


रमेश सिंह
सचिव

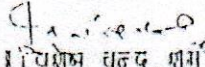
सं० 1327-कविपकी/11/राविप-29/96-14कविपकी/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि ये कृपया विभागीय
समित्तों में परिषद द्वारा निर्धारित समित्त प्रक्रिया का अनुपालन अपने एवं अपने
अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता आता सुनिश्चित करें :-

1. अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव एवं संयुक्त सचिव, उ०प्र० र० वि० प० ।
2. सदस्य, विरत एवं लेखा/तापीय/पितरप/जल-विद्युत एवं प्रेषण, उ०प्र० र० वि० प० ।
3. सचिव/अवर सचिव [प्रशम/हिस्सीय/सूचीय] के निजी सचिव/
विधि अधिकारी/नियंत्रक [कार्यिक], उ०प्र० र० वि० प० ।
4. समस्त मुख्य अभियंता/रतार-1 व 111/समस्त नियंत्रक, उ०प्र० र० वि० प० ।
5. समस्त अधीक्षक अभियंता, उ०प्र० र० वि० प० ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० र० वि० प० ।
7. परिषद मुख्यालय के समस्त अधिकारी/मप/मैरक सहयोग ।

आज्ञा से,

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।


रमेश सिंह
संयुक्त सचिव

प्रोत्साहित हेतु वयस प्रक्रिया के मापदण्ड

विश्वव्यापी वयस वर्गीकरण की अनुसंधान पर परिणाम में नज़र आते आते सभी संघर्षों के वर्षों पर "श्रेष्ठत" एवम् "अनुपयुक्त" को अवलीकृत करते हुए "श्रेष्ठत" दोनों प्रकार के मापदण्ड के अन्तर्गत प्रोत्साहित हेतु किए जाते आते हैं। इनकी प्रक्रिया निम्नवत् विवर्णित की जाती है :-

1. जहाँ मापदण्ड "श्रेष्ठत" है :-

युवा अनियंत्रित 1 स्तर-11/1 स्तर-111 एवं समकाल पदों हेतु वयस इस मापदण्ड के अन्तर्गत पर किया जायेगा ।

111. STAGE

मिथुनित प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष अर्थात् सामान्य, अनुपयुक्त अति और अनुपयुक्त अवस्था के श्रेष्ठतम अर्ह अवस्थितियों की अलग-अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी जिसमें क्या संभव है निम्न की स्थितियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ कम रहे जायेगे ।

परन्तु अन्तर प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि मर्ती एक से अधिक वर्ष की स्थितियों के लिए की जाती है तब उस स्थिति में अलग-अलग वर्षों के सम्बन्ध में अलग-अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी सूची बनाते समय उसमें पात्र अवस्थितियों की संख्या निम्नांकित रहनी जायेगी :-

- | | | | |
|-----|---------------------|---|---|
| 1क1 | द्वितीय वर्ष के लिए | - | उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम वर्ष की स्थितियों की संख्या का योग । |
| 1ख1 | तीसरे वर्ष के लिए | - | उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम व द्वितीय वर्ष की स्थितियों की संख्या का योग । |

1111 वयस हेतु विचारणीय अवधि

- 1क1 प्रोत्साहित हेतु जिस वर्ष की स्थितियों के अन्तर्गत पर विचार होता हो उससे पिछले दस वर्ष की अवधि की वरिष्ठ योजना की प्रविष्टियों/संख्या अभिलेखों पर विचार किया जायेगा ।
- 1ख1 पिछले दस वर्ष की अवधि में दो वर्षों की अवधि तक की प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने की दशा में उपलब्ध वर्षों की प्रविष्टियों के वार्षिक औसत के अन्तर्गत पर दस वर्षों की प्रविष्टियों के अंकों की गणना की जायेगी ।
- 1ग1 पिछले दस वर्षों की अवधि में तीन अथवा उससे अधिक वर्षों की प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने पर उसकी अवधि की पिछले दस वर्षों से ठीक पूर्व की उपलब्ध प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेगी ।
- 1घ1 तीन महीने से कम अवधि की प्रविष्टियाँ, अंकों की गणना हेतु विचार में नहीं ली जायेगी ।
- 1ड.1 वर्ष विकास में कम से कम चार गत अवस्था वाले अर्थिक की प्रविष्टि उपलब्ध होने पर, उस प्रविष्टि को, पूरे वर्ष की प्रविष्टि माना जायेगा ।

- (च) किसी भी अवधि की सत्यान्वित प्रमाणित न होने की दशा में सम्बन्धित वर्ष के बाद के लगातार तीन वर्षों तक सत्यान्वित प्रमाणित होने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी को चयन हेतु उपयुक्त नहीं माना जायेगा।

IIII चयन समिति

विभिन्न विधियों/परिषदादेशों [यथा संशोधित] द्वारा घोषित चयन समिति का गठन किया जायेगा।

IVI वरिष्ठ पत्रिका के अभिलेख

परिषदादेश संख्या 6900-सी.एस./85-9सी.एस/78, दिनांक 30.5.1985, अन्य संगत आदेशों एवं उनके संशोधन यदि कोई हों, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

IVII वार्षिक गैरआय प्रविष्टियों का सूचकांक

111 उत्कृष्ट [आउटस्टैंडिंग]	--	20 अंक
121 अति उत्तम [बेरी-गुड]	--	16 अंक
131 उत्तम [गुड]	--	12 अंक
141 सामान्य [फेयर-सेटिसफैक्टरी]	--	6 अंक
151 खराब [पुअर]	--	कोई अंक नहीं

प्रतिषेधक, समीक्षक एवं अन्तिम अधिकारी द्वारा दी गई निम्न-निम्न कोटियों के आधार पर निम्नानुसार सूचकांक किया जायेगा :-

111 प्रतिषेधक अधिकारी	20 प्रतिशत
121 समीक्षक अधिकारी	30 प्रतिशत
131 अन्तिम अधिकारी	50 प्रतिशत

यदि प्रतिषेधक अधिकारी द्वारा दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि, प्रभावी अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदन करने पर पुनर्विचारोपरांत समाप्त कर दी गई है तो उस अवस्था में समीक्षक अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणी को संज्ञा में लिया जायेगा।

IVII अपात्रता के अंकों का अर्थ

- 1क। निम्नता प्रविष्टि हेतु 6 अंक प्रति निम्नता प्रविष्टि घटाये जायेगा। कोई भी निम्नता प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत ही की जाय।
- 1ख। अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप वार्षिक वेतन वृद्धि रोक जाय/आर्थिक क्षति की प्रत्याप्ति जैसे दण्ड पर छः से बरह अंक घटाये जायेगा। अंत में समग्र वर्ष में अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप कोई भी अंक घटाया जायेगा।

जो मिला-रही

1ग। जारी दण्ड वाढे की स्थिति में विद्यार्थीय आलोच्य अवधि से पूर्व के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत दण्ड पर ध्यान देना। अवि के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत दण्ड पर ध्यान देना।

1व0। प्राप्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों का श्रेणीकरण

श्रेणी-1। मध्ये 1201 प्रतिशत या 180 अंक, अग्रता अवधि, अर्जित करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-1 में वर्गीकृत होंगे। इस श्रेणी हेतु अंकों का अर्जित जिन विद्यार्थीय दस वर्षों की प्रविष्टियों पर किया जाएगा। विद्यार्थीय अवधि 1दस वर्षों के अंतर्गत ऐसी प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होंगे की अवस्था में विद्यार्थीय अवधि से ठीक पूर्व की ऐसी प्रविष्टियाँ विचार में ली जाएंगी तथा उस अवधि की विद्यार्थीय अवधि की सबसे पहली प्रविष्टियाँ विद्युत्त गिनी जाएंगी।

श्रेणी-2। मुख्य अभियंता स्तर-1। एवं समकक्ष पद हेतु प्रस्तर 1701 प्रतिशत। अर्थात् 1401 अंक। तथा मुख्य अभियंता स्तर-2। एवं समकक्ष पद हेतु प्रस्तर 1651 प्रतिशत। अर्थात् 1301 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-2 में वर्गीकृत होंगे।

श्रेणी-3। श्रेणी-2 में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्डों से कम प्राप्तियों वाले अभ्यर्थी श्रेणी-3 में वर्गीकृत होंगे।

1व1। वयस तथा वयस सूची का तैयार किया जाना

1क। पूर्वांकित प्रस्तर- 1 व 1 के अनुसार श्रेणी-3 में वर्गीकृत अभ्यर्थी किसी भी पद पर वयस हेतु उपयुक्त नहीं होंगे।

1ख। प्रस्तर 1 व 1 के अनुसार वर्गीकृत/वर्गीकरण करने के पश्चात् सर्वप्रथम श्रेणी-1 के अभ्यर्थियों में से उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार वयस किया जाएगा। तदनंतर आवश्यकतानुसार श्रेणी-2 के अभ्यर्थियों में से श्रेणी-1 के लिए वयस किया जाएगा। इस प्रकार विभिन्न वर्गों के श्रेणी-1, 2 में से वयसित समस्त अभ्यर्थियों के माग उनके वयस वरिष्ठता क्रमानुसार प्रत्येकवर्षित करके वयस सूची सिस्टम में दर्ज की जाएगी जो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची होगी तथा इसी वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।

2. अहाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए उद्येष्ठता मापदण्ड है

मुख्य अभियंता स्तर-1। स्तर-2। एवं समकक्ष वर्गों से निम्न स्तर के पदों के अधिकारियों/कर्मचारियों का वयस इस मापदण्ड के आधार पर किया जाएगा।

1।। पात्रता नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्येष्ठताम अह अभ्यर्थियों को अलग-अलग तीन सूचियाँ उक्त वर्ग के लिए उपलब्ध

रिश्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेंगे, जिसे
यथा सम्भव विम्बितित अनुपात में धार दिए जायेंगे:-

एक से पाँच रिश्तियों के लिए	रिश्तियों की संख्या का गुणना, किन्तु कम से कम पाँच
पाँच से अधिक रिश्तियों के लिए	रिश्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, किन्तु कम से कम दस ।

परन्तु अग्रतः प्रतिबंध यह होगा कि यदि गती एक से अधिक वर्ष की रिश्तियों
के लिए की जाती है तब उस स्थिति में अलग-अलग वर्षों के सम्बन्ध में अलग-2 पात्रता
एकी तैयार की जायेगी तथा ऐसी एकी श्रमार्थ समय उसमें पात्र अभ्यर्थियों की संख्या
विम्बितितार कही जायेगी :-

- 1क। दूसरे वर्ष के लिए उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम वर्ष की
रिश्तियों की संख्या का योग ।
- 1ख। तीसरे वर्ष के लिए उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम व द्वितीय
वर्षों की रिश्तियों की संख्या का योग ।

1.1.1. वयस हेतु विचारणीय अवधि

- 1क। वयस हेतु प्रोत्तमति के पद से ठीक पिछले पद पर की गई सेवा की
अवधि अथवा दस वर्ष, जो भी कम हो, की वार्षिक वरिष्ठ पत्रिका
1सी.अ.र.डोमियर/सेवा अभिलेख 1पसंमत फाइल विचार में
लिए जायेगी ।
- 1ख। तीस महीने से कम अवधि की प्रविष्टियाँ विचार में नहीं ली जायेंगी ।
- 1ग। कम से कम चार मास अथवा उससे अधिक की प्रविष्टि उपलब्ध होने
पर, उस प्रविष्टि को, पूरे वर्ष की प्रविष्टि माना जायेगा ।
- 1घ। किसी भी अवधि की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होने की दशा में
सम्बन्धित वर्ष के शाय के लगातार तीस वर्षों तक सत्यनिष्ठा
प्रमाणित होने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी वयस हेतु उपयुक्त नहीं
माना जायेगा ।

1.1.2. वयस समिति

विभिन्न विधायकों/परिषदादेवों 1यथा संशोधित 1 द्वारा घोषित
वयस समिति का गठन किया जायेगा ।

वरिष्ठ पत्रिका के अभिलेख

- 1क। विम्बितितार शाय मन्त्रिम में निम्न निम्न मन्त्रिम को सम्बन्ध में निम्न निम्न
वर्ष दिये गये हैं उस वर्ष की प्रविष्टि शराय/प्रतिफल मागनी जायेगी
दण्ड लघु या बृहद हो सकता है। जहाँ किसी अधिकारी को लघु
दण्ड प्रदान किया गया हो वहाँ उसकी एक गोपनीय प्रविष्टि उस
वर्ष की शराय मागनी जायेगी, जिस वर्ष उसे दण्ड प्रदान किया गया
है। परन्तु यदि लघु दण्ड स्वल्प उसकी एक या एक से अधिक वेतन

ज. 2

कृषि रोकनी गई हो अथवा कुछ दण्ड प्रदान किया गया हो तो उस गांवलों में जिस वर्ष उसको दण्ड दिया गया है उस वर्ष की प्रविष्टि खराब/प्रतिकूल माने जाने के अलावा अतिरिक्त वर्ष/वर्षों की प्रविष्टि प्रतिकूल माने जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित तथ्य संगति प्रारंभ, दिये गये दण्ड को त्याग में रखते हुए, निर्णय लिया जायेगा।

18। परिणामादेश संख्या 6900=सी. एन.ए./85-9सी. एन.ए./70, दिनांक 30.5.1985, अन्य संगत आदेशों एवं उनके संशोधन यदि कोई हो, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(iv)

घयम तथा घयम सूची को तैयार किया जाता।

19। अप्रत्यासी अभियंता एवं अन्य संघर्षों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोत्साहित हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों की संख्या चार अथवा उससे अधिक है। प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्याएँ, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा। दस वर्ष से कम की विद्यार्थीय सेवा अवधि के मामलों में उपयुक्ततानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 40।

20। अजीब अभियंता एवं अन्य संघर्षों के समकक्ष स्तर के पदों पर प्रोत्साहित हेतु अनुपयुक्त ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा, जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों की संख्या चार अथवा उससे अधिक है। प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्याएँ, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा। दस वर्ष से कम की विद्यार्थीय सेवा अवधि के मामलों में उपयुक्ततानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 30।

21। इस विद्यार्थी के अनुसार रिक्तियों को देखते हुए उनके अनुपात में निर्धारित संख्या के पात्रता क्षेत्र के अभ्यर्थियों के नामों पर परीक्षा क्रम में विचार किया जाता वार्षिक। सर्वप्रथम परीक्षित अभ्यर्थी के नाम पर विचार कर उसे उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित करने के बाद उसके तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार के अभ्यर्थियों

अभिमान

161

के भागों पर विचार किया जाता था, जब तक रिपुताओं की तुलना में वांछित संख्या में प्रोत्सर्ग के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाय। जब प्रोत्सर्ग के लिए वांछित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाय तब उसके भाग के अभ्यर्थियों के भागों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विभिन्न वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के भाग उनके मूल परिच्छेदता क्रमाबुद्धार प्रोत्सर्गस्थित करके चयन पूर्ण [टैलेट लिस्ट] बनाई जायेगी, जो उसकी पारस्परिक परिच्छेदता पूर्ण होगी तथा इसी परिच्छेदता पूर्ण के क्रमाबुद्धार ही नियुक्ति आयेस जारी किए जायेंगे।

3. उपर्युक्त क्रमाबुद्धार दोनों प्रकार के चयनों हेतु निर्धारित मापदण्डों से अवधारित बिन्दु के सम्बन्ध में चयन समिति अपने विवेक से निर्णय लेगी।

जारी